

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 20 APR 2016

:: अधिसूचना ::

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) की धारा 4(2) संपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 2(6)न्याय/96 जयपुर, दिनांक 03.12.1996 के द्वारा सृजित प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन संबंधी प्रकरणों हेतु जिला न्यायाधीश स्तर का विशेष न्यायालय, जयपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जयपुर के रूप में अधिकृत करती है तथा राज्य सरकार विशिष्ट न्यायालय प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन केसेज जयपुर में प्रदस्थापित न्यायाधीश को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायाधीश नियुक्त करती है। इस न्यायालय द्वारा उन्ही प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जो समय समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
(मनोज कुमार व्यास)
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/III/2016/ 563 dated 21.4.2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1.All Registrars Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur and Registrar Class./CPC for upload the same on high court website.
- 2.District Judge, Jaipur Metro./ District.
- 3.All Special Courts, Prevention of Corruption Act Cases, Jaipur
- 4.Special Judge, Printing & Stationary Embezzalment cases, Jaipur.
- 5.All administrative sections of Rajasthan High Court, Jodhpur.

(मनोज कुमार व्यास)
REGISTRAR (ADMN.)

515
22/4/16